भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2548
21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात विनिर्माताओं पर इस्पात आयात का प्रभाव

2548. श्रीमती रंजीत रंजन :

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू इस्पात कीमतों, विशेष रूप से हॉट-रोल्ड कॉइल की कीमतों पर बढ़ते इस्पात आयात के प्रभाव तथा मुद्रास्फीति पर प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार घरेलू विनिर्माताओं को समर्थन देने तथा उन्हें डंपिंग परिपाटियों से बचाने के लिए आयातित इस्पात पर प्रशुल्क या कर लगाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो ऐसे उपायों को लागू करने के लिए समय-सीमा क्या है ;

(ग) सरकार किस प्रकार मुद्रास्फीति के दबावों को घरेलू इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा किफायती इस्पात पर निर्भर पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ संतुलित करने का इरादा रखती है ; और

(घ) दीर्घावधि में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात की कीमतें बाजार शक्तियों की मांग-आपूर्ति संबंधी गतिशीलताओं द्वारा निर्धारित होती हैं। सरकार देश में लघु और मध्यम उत्पादकों सहित इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने इस्पात के आयात में कमी लाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू किया गया है।

जारी.......2/-

(ii) उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता के लिए गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को लागू करके घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाना।

(iii) वर्तमान में कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, पाइप और लौह के खोखले प्रोफाइल, मिश्रधातु, या गैर-मिश्रधातु इस्पात (कच्चा लोहा और स्टेनलेस स्टील के अलावा) (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड इस्पात (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम और थाईलैंड से) से संबंधित पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) उपाय किए गए हैं।

(iv) चीन और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

(v) इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग होने वाले फेरो-निकेल तथा मोलिब्डेनम अयस्कों तथा कंसंट्रेट्स पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

*****